भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3014

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्य क्रय, भंडारण और वितरण अवसंरचना का आधुनिकीकरण

3014. श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री बलभद्र माझी:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री शंकर लालवानी:
श्री शशांक मणि:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्री नव चरण माझी:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विशेषकर मध्य प्रदेश, इंदौर तथा नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में खाद्य वितरण, भंडारण और संभार तंत्र प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य और इंदौर तथा नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में क्रय प्रणाली को सुदृढ़ करने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर मध्य प्रदेश और इंदौर तथा नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने और देश में पात्र परिवारों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:-

...2/-

स्मार्ट-पीडीएस: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के संपूर्ण प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एक उन्नत, एकीकृत और मॉड्यूलर डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार योजना (स्मार्ट-पीडीएस)" को लागू कर रहा है। इस प्रबंधन में राशन कार्ड प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रचालन, आवंटन, खरीद और बायोमेट्रिक वितरण शामिल हैं।

स्मार्ट-पीडीएस एप्लिकेशन का विकास राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म का विकास अक्तूबर 2024 में शुरू हुआ और इसके मॉड्यूल अप्रैल 2025 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।

स्मार्ट भांडागार परियोजना: सरकार प्रायोगिक आधार पर एफसीआई के स्वयं के 150 डिपुओं को स्मार्ट भांडागारों में परिवर्तित कर रही है। सीडब्ल्यूसी ने अपने सभी खाद्यान्न गोदामों में स्मार्ट भांडागार स्थापित किए हैं। इस परियोजना के तहत, पारंपरिक डिपो को स्मार्ट भांडागार में परिवर्तित किया जा रहा है, जो विभिन्न आईओटी सेंसर जैसे स्मोक सेंसर, फायर सेंसर और गेट ओपनिंग सेंसर आदि से सुसज्जित हैं। ये सेंसर CO_2, फॉस्फीन स्तर, आग के खतरे, आर्द्रता, अनधिकृत प्रवेश और तापमान जैसे प्रमुख मापदंडों की वास्तविक समय में निगरानी करते हैं।

इस पहल का उद्देश्य सभी डिपुओं में वास्तविक समय में दृश्यता, समय पर हस्तक्षेप, डाटा-आधारित निर्णय लेना और मानकीकृत प्रचालन सुनिश्चित करना है ताकि सुरक्षित, सुदृढ़ और कुशल खाद्यान्न भंडारण और वितरण सुनिश्चित हो सके।

डिपो दर्पण पोर्टल: डिपो दर्पण पोर्टल, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न भंडारण डिपुओं और भांडागारों की निगरानी, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है।

डिपो दर्पण की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य:

क. डिपो/भांडागार प्रबंधक, डिपो के अवसंरचना, प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित जियो-टैग किए गए डाटा को अपलोड करते हैं

ख. पोर्टल एक समग्र स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग करता है, जो डिपो का मूल्यांकन दो व्यापक श्रेणियों: अवसंरचना (सुरक्षा, भंडारण की स्थिति, प्रौद्योगिकी का उपयोग, अनुपालन) और प्रचालन मापदंड (स्टॉक टर्नओवर, नुकसान, स्थान का उपयोग, मानव संसाधन लागत आदि) पर करता है।

ग. स्कोर के आधार पर, प्रत्येक डिपो को एक स्टार रेटिंग दी जाती है, जिसका उद्देश्य डिपो के प्रदर्शन का त्वरित मूल्यांकन प्रदान करना है।

...3/-

घ. डाटा का मान्यकरण पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा 100% सत्यापन और कुछ औचक तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा जैसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है ताकि विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

साइलो - खाद्यान्नों का वैज्ञानिक भंडारण: साइलो भंडारण खाद्यान्नों के थोक भंडारण की एक अत्याधुनिक और मशीनीकृत विधि है, जो बेहतर संरक्षण और वर्धित सेल्फ-लाइफ सुनिश्चित करता है। पारंपरिक भंडारण विधियों की तुलना में इसमें केवल एक तिहाई भूमि की आवश्यकता होती है, पारगमन और अन्य ऊपरी खर्चों जैसे बोरी से जुड़े खर्च,श्रम की आवश्यकता कम होती है, और वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव और भंडारण पद्धतियों के माध्यम से गुणवत्ता में निरंतरता सुनिश्चित होती है। वर्तमान में 32 लाख टन साइलो कार्यरत हैं।

"अन्न चक्र" मार्ग अनूकूलन टूल:- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 05.12.2024 को सार्वजनिक वितरण आपूर्ति (पीडीएस) श्रृंखला के लिए "अन्न चक्र" अनूकूलन टूल शुरू किया है। यह टूल खाद्य सुरक्षा तंत्र को अधिक कुशल बनाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी, बचत और 81 करोड़ जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीम तक लाभार्थियों को त्वरित पहुंच सुनिश्चित होती है। पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनूकूलन कार्यक्रम मार्च 2023 में शुरू हुआ और इसमें पीडीएस के माध्यम से प्रतिवर्ष 680 लाख टन खाद्यान्नों के परिवहन वाले मार्गों को शामिल किया गया है।

इस प्रक्रिया के तहत, अनुकूलित परिणामों के आधार पर एफसीआई भांडागारों का राज्य भांडागारों (एल1 स्तर परिवहन) से और राज्य भांडागारों का एफपीएस दुकानों (एल2 स्तर परिवहन) से मानचित्रण किया जाता है।

सीसीटीवी और इंटरनेट आफ थिंग्स (आईओटी) प्रोद्योगिकियां:- एफसीआई के स्वयं के और सीडब्ल्यूसी के सभी डिपुओं में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।

ये तकनीकें डिपो के प्रचालन में महत्वपूर्ण बदलाव लाती हैं, जिससे निम्नलिखित लाभ सुनिश्चित होते हैं:

i. वास्तविक समय में दृश्यता
ii. समय पर कार्रवाई
iii. डाटा-आधारित निर्णयन
iv. सभी डिपो में मानकीकृत प्रचालन

(ख) और (ग): किसानों को समय पर खरीद और पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

...4/-

(i) भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी, एफसीआई, अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत गेहूं और धान की खरीद करती है। केंद्रीय पूल में रखे मोटे अनाज/श्री अन्न (मिलेट्स) की खरीद केवल राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत की जाती है।

(ii) एफसीआई और विभिन्न राज्य एजेंसियां, राज्य सरकार के परामर्श से, विभिन्न मंडियों और प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में खरीद केंद्र स्थापित करती हैं। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न मापदंडों के आधार पर केंद्रों की संख्या और उनके स्थान निर्धारित किए जाते हैं ताकि एमएसपी प्रचालन का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इस तरह के व्यापक और प्रभावी मूल्य समर्थन अभियानों के परिणामस्वरूप किसानों की आय में एक अवधि तक स्थिरता आई है और कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश के लिए आवश्यक बल मिला है, जिससे उत्पादकता में सुधार हुआ है।

(iii) भारत सरकार के विनिर्देशों के अनुरूप, किसानों द्वारा क्रय केंद्रों पर प्रस्तुत किए गए स्टॉक को सरकारी एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदती हैं। यदि किसानों को खुले बाजार में समर्थन मूल्य से बेहतर मूल्य प्राप्त होता है, तो वे अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकारी एजेंसियों की उपस्थिति किसानों द्वारा खाद्यान्न की मजबूरन बिक्री को रोकती है।

(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खाद्यान्न की खरीद अनिवार्य रूप से राज्य क्रय पोर्टलों के माध्यम से की जाती है, जिससे प्रक्रिया में काफी पारदर्शिता आई है। इसके तहत किसानों को सरकारी क्रय केंद्रों/मंडियों में अपनी उपज बेचने के लिए पंजीकरण, भूमि/फसल सत्यापन और किसानों के बैंक खाते में सीधे तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा शुरू की गई है।

(v) आरएमएस 2021-22 से पूरे देश में "डीबीटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक एमएसपी" लागू किया गया है। एमएसपी का भुगतान सीधे तौर पर किसानों के खाते में सुनिश्चित किया गया है। एमएसपी के डीबीटी से प्रणाली में जवाबदेही, पारदर्शिता और वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित हुई है।

(vi) खाद्यान्नों के लिए एमएसपी प्रचालन का दायरा बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों/पंचायतों/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को शामिल करने का प्रावधान किया है ताकि अधिक से अधिक किसान मूल्य समर्थन प्रचालन का लाभ उठा सकें।

(घ): उपरोक्त बिंदु (क) में उल्लिखित सभी पहलें पीडीएस के तहत खाद्यान्न भंडारण में सुधार के लिए बहुत सहायक पाई गई हैं।

*****